उपासना स्थल अधिनियम, 1991

प्रलिम्सि के लयि:

उपासना स्थल (वशिेष प्रावधान) अधिनियिम, 1991

मेन्स के लयि:

भारतीय संवधिान, उपासना स्थल (वशिेष प्रावधान) अधिनियिम, 1991, संबंधति प्रावधान

चर्चा में क्यों?

सॉलसिटिर जनरल ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि उपासना स्थल अधिनियिम, 1991 की वैधता अयोध्या मामले में उसकी पाँच न्यायाधीशों की संवधिान पीठ की राय द्वारा "कवर नहीं की जा सकती है"।

उपासना स्थल अधिनियिम:

- **वषिय:** यह कसिी भी उपासना स्थल के रूपांतरण को प्रतबिंधति करने और उसके धार्मकि स्वरुप के रखरखाव और उससे संबंधति या उसके आनुषंगकि मामलों के लयि के एक अधिनियिम के रूप में वर्णति कयिा गया है जैसा कि यह 15 अगस्त, 1947 को था।
- **छूट:**
  - अयोध्या में ववािदति स्थल को इस अधिनियिम से छूट दी गई थी। इस छूट के चलते अयोध्या मामले में इस कानून के लागू होने के बाद भी सुनवाई चलती रही।
  - अयोध्या ववािद के अलावा इस अधिनियिम में इन्हें भी छूट दी गई है:
    - कोई भी पूजा स्थल जो एक प्राचीन और ऐतहिासकि स्मारक है, या एक पुरातात्त्वकि स्थल है जो प्राचीन स्मारक और पुरातत्त्व स्थल एवं अवशेष अधिनियिम, 1958 द्वारा संरक्षति है।
    - एक ऐसा वाद जो अंततः नपिटा दयिा गया हो।
    - कोई भी ववािद जो पक्षों द्वारा सुलझाया गया हो या कसिी स्थान का स्थानांतरण जो अधिनियिम के शुरू होने से पहले सहमति से हुआ हो।
- **दंड:**
  - अधिनियिम की धारा 6 अधिनियिम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ अधिकतम तीन वर्ष के कारावास की सज़ा का प्रावधान करती है।
- **आलोचना:**
  - इस कानून को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह न्यायकि समीक्षा पर रोक लगाता है, जो कि संवधिान की एक बुनयिादी वशिेषता है, साथ ही यह एक "मनमाना तर्कहीन पूर्वव्यापी कटऑफ तथि" आरोपति करता है जो हदिू, जैन, बौद्ध एवं सखिों के धार्मकि अधिकारों को सीमति करता है।
  - **धर्मनरिपेक्षता के सद्धिांत का उल्लंघन:** यह न्यायकि समीक्षा के उपचार की शक्ति को सीमति करता है जो संवधिान की एक बुनयिादी वशिेषता है और इसलयि संसद की वधिायी क्षमता से बाहर है।
    - इसका परणिाम यह होगा कि हदिू उपासक दीवानी न्यायालय में कोई मुकदमा दायर करके या भारत के संवधिान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर अपनी शकियत दर्ज़ नहीं करा सकेंगे। यदि अतवािदी 15 अगस्त, 1947 से पहले इस तरह की संपत्ति पर अतक्रिमण कर चुके हैं, तो हदिू उपासक हदिू बंदोबस्ती, मंदरिों, मठों और अन्य संपत्तयिों के धार्मकि स्वरुप को वापस पाने में भी असमर्थ होंगे, और इस तरह की अवैध संपत्ति की अवस्थति यिथावत बनी रहेगी।
    - अधिनियिम ने उस भूमि को अपने दायरे से बाहर रखा था जो अयोध्या ववािद का वषिय था।

प्रावधान:

- **धारा 3:** इस अधिनियिम की धारा 3 उपासना स्थलों के परविर्तन पर रोक लगाने का प्रावधान करती है अर्थात् कोई भी व्यक्ति कसिी भी धार्मकि

संप्रदाय या उसके किसी वर्ग के पूजा स्थल को उसी धार्मकि संप्रदाय के किसी भिन्नि वर्ग या किसी भिन्नि धार्मकि संप्रदाय या उसके किसी वर्ग के पूजा स्थल में परविर्तति नहीं करेगा।

- **धारा 4(1):** यह घोषणा करती है कि 15 अगस्त, 1947 तक अस्तित्व में आए पूजा स्थलों की धार्मकि प्रकृति "पूर्ववत् बनी रहेगी।
- **धारा 4(2):** इसमें कहा गया है कि **15 अगस्त, 1947 को मौजूद किसी भी पूजा स्थल की धार्मकि प्रकृति के परविर्तन के संबंध में किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबति कोई भी मुकदमा** या कानूनी कार्यवाही समाप्त हो जाएगी और कोई नया मुकदमा या कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी।
  - इस उपखंड का प्रावधान उन मुकदमों, अपीलों और कानूनी कार्यवाही से बचाता है जो अधिनियिम के प्रारंभ होने की तिथि पिर लंबति हैं, यदि वे कट-ऑफ तिथि के बाद पूजा स्थल के धार्मकि प्रकृति के रूपांतरण से संबंधति हैं।
- **धारा 5:** यह निर्धारति करती है कि अधिनियिम रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिदि मामले और इससे संबंधति किसी भी मुकदमे, अपील या कार्यवाही पर लागू नहीं होगा।

अयोध्या फैसले के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की राय:

- वर्ष 2019 के अयोध्या निर्णय में संविधान पीठ ने कानून का हवाला दिया और कहा कि **यह संविधान के धर्मनरिपेक्ष मूल्यों को प्रकट करता है तथा प्रतगिमन पर रोक** लगाता है।
- इसलयि कानून भारतीय राजनीति की धर्मनरिपेक्ष विशेषताओं की रक्षा के लयि बनाया गया **एक विधायी साधन है, जो संविधान की बुनियादी विशेषताओं** में से एक है।

आगे की राह

- अधिनियिम से जुड़ी कमियों के बावजूद हम **पूजा स्थल अधिनियिम के महत्त्व** को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यह एक महत्त्वपूर्ण विधायी हस्तक्षेप है जो गैर-प्रतगिमन को हमारे धर्मनरिपेक्ष मूल्यों की एक अनविार्य विशेषता के रूप में संरक्षति करता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा विगित वर्षों के प्रश्न:

???????????:

प्रश्न निम्निलखिति कथनों पर विचार कीजयि: (2020)

1. भारत का संविधान संघवाद, धर्मनरिपेक्षता, मौलकि अधकिारों और लोकतंत्र के संदर्भ में अपनी बुनियादी संरचना को परभिाषति करता है।
2. भारत का संविधान नागरकिों की स्वतंत्रता की रक्षा और उन आदर्शों को संरक्षति करने के लयि 'न्यायकि समीक्षा' का प्रावधान करता है, जनि पर संविधान आधारति है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

??????

प्रश्न. धर्मनरिपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतकि प्रथाओं के लयि क्या चुनौतियाँ हैं? **(2019)**

प्रश्न. धर्मनरिपेक्षता की भारतीय अवधारणा धर्मनरिपेक्षता के पश्चिमी मॉडल से कसि प्रकार भिन्नि है? विचार-विमर्श कीजयि। **(2018)**

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/the-places-of-worship-act-1